फर्द अहकाम

रोहित बनाम गणेशा व अन्य

ालय SDO द्वितीय सांगानेर

ा 06/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी गण के विरुद्ध दिनांक 13/3/24 को ही एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते। वादी शेष साक्ष्य बंद किये जाते हैं। वकील वादी की बहस सुनी गयी। वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर हो कम होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 06/2016
निर्णय दिनांक: 11.02.2025

उनवान

मोहित पुत्र श्री फूलचन्द, उम्र 10 वर्ष, (जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अजु चौधरी पत्नी श्री फूलचन्द चौधरी)
मान्यता पुत्री श्री फूलचन्द, उम्र 6 वर्ष, (जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अंजु चौधरी पत्नी श्री फूलचन्द चौधरी) समस्त जाति जाट, निवासीयान प्लाट नम्बर 27, गली नम्बर–2, मोती नगर, झारखंड महादेव मंदिर के पास, वैशाली नगर, जयपुर।

–वादीया

बनाम

गणेश नारायण पुत्र श्री बालू,
चन्द्रशेखर पुत्र श्री गणेशनारायण,
फूलचन्द पुत्र श्री गणेश नारायण,
योगिता पुत्री गणेश नारायण,
मोहिनी पुत्री श्री गणेश नारायण,
सुमन पुत्री गणेश नारायण
समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम हाज्यावाला, पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
हजारसी लाल पुत्र श्री बालू
हेलतराम पुत्र श्री धन्ना,
आनन्दी लाल पुत्र श्री धन्ना,
महेश्वर पुत्र श्री धन्ना,
हीरालाल पुत्र श्री धन्ना,
गोपाल किशोर पुत्र श्री धन्ना,
घासीराम पुत्र श्री धन्ना,
जगदीश पुत्र श्री धन्ना
समस्त जाति जाट, निवासीयान– ग्राम हाज्यावाला, पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
राज्य सरकार जरिये, तहसीलदार सांगानेर, जयपुर।
उप पंजीयक महोदय कार्यालय तहसील सांगानेर, जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण ने दावा बाबत् घोषणा, तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला, पटवार हलका कल्याणपुरा, तहसील सागानेर जिला जयपुर में निम्नलिखित कृषि भूमिया है. जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

सारणी क (खाता संख्या 26 की कृषि भूमिया)

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा
1	694	0.01 है0
2	709	0.01 है0
3	846/693	0.08 है0
4	852/695	0.01 है0
5	854/695	0.08 है0

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

	857 / 708	0.05 है0
	कुल किता 6	कुल रकबा 0.04 है0

सारणी ख (खाता संख्या 24 की कृषि भूमिया)

	खसरा नम्बर	रकबा
1	682	0.18 है0
2	683	0.53 है0
3	695	0.03 है0
4	696	0.48 है0
5	697	0.31 है0
6	704	0.05 है0
7	705	0.86 है0
8	706	0.18 है0
9	708	0.08 है0
10	845 / 684	0.14 है0
	कुल किता 10	कुल रकबा 2.91 है0

उपरोक्त दोनो भूमियां इस प्रकार में विवादित है जिन्हे आगे की मदो में वादग्रस्त भूमि कहा गया है। उपरोक्त सारणी संख्या क सम्पत्ति में 1/4 हिस्सा एवं उपरोक्त सारणी संख्या ख सम्पत्ति में संपूर्ण हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का पुश्तैनी है। वादीगण के परदादा बालू के नाम उक्त सम्पत्तियां एवं अन्य कई सम्पत्तियां थी। वादीगण के दादा की मृत्यु हो गई, उपरोक्त पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमियो के पुराने खसरा नम्बर 376, 374, 375, 379, 381, 384, 385, 386 थे। उपरोक्तानुसार बालू की मृत्यु के पश्चात् स्वर्गीय बालू की सपूर्ण सम्पत्तियां उसके दोनों पुत्रो के नाम हो गई तथा उसके दोनो पुत्रो ने उक्त भूमियो में से कुछ का मनबट के आधार पर बटवारा कर लिया और कुछ शामलाती खाते में रही, उक्त वाद के पैरा नम्बर 1 में अंकित सारणी क वाली भूमि में 1/4 हिस्सा एवं सारणी ख वाली संपूर्ण भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई लेकिन वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 सहदायिकी होने से एवं उक्त भूमियां पैतृक होने से सभी वास्तविक मालिक स्वामी एवं कब्जेधारी हैं परन्तु वादीगण का परिवार संयुक्त हिन्दु परिवार होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी रिकार्ड में केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है लेकिन सभी हिस्सेदार उक्त भूमियो पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त भूमियां पुश्तैनी एवं मौरूसी होने से उक्त वादग्रस्त भूमियो में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहदायिकी होने से उक्त वादग्रस्त भूमियों में वादीगण को पैतृक अधिकार उनके जन्म से ही प्राप्त है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमियों में वादीगण को संयुक्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियो में संयुक्त रूप से अन्य हिस्सेदारो के साथ संयुक्त स्वामी है तथा वादीगण का उक्त सम्पदा में सारणी क में 1/4 हिस्से में प्रतिवादी फूलचन्द के 1/6 हिस्से में से प्रत्येक का 1/3 हिस्सा तथा संपूर्ण भूमि में प्रत्येक का 1/72 हिस्सा है तथा सारणी ख की भूमियों संपूर्ण में वादीगण का प्रतिवादी फूलचन्द के 1/6 हिस्से में से प्रत्येक का 1/3 हिस्सा तथा संपूर्ण भूमि में प्रत्येक का 1/18 हिस्सा है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमियो पर वादीगण का उपरोक्तानुसार संयुक्त रूप से मालिकाना हक हिस्सा है लेकिन वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 उक्त विवादित भूमियो को उसके नाम होने के कारण अपने एकल स्वामित्व की बताते हुए अन्य को बेचान करने को उतारू है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 भी प्रतिवादी संख्या 1 का सहयोग कर रहे हैं तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 भी उपरोक्त भूमियो को बिना तकासमा कराये ही आगे बेचान करने पर आमादा है जिसका कोई वैधानिक अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं हैं। दिनांक 22.03.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 विवादित भूमियां कुछ व्यक्तियो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बेचने की बात कर रहे थे। इस पर वादीगण की माता अंजु चौधरी भी वहां भूमि पर हुई थी तो इस पर वादीगण की माता अंजु चौधरी द्वारा उन्हें कहा गया कि वे जब उक्त भूमियों का बटवारा करवाकर वादीगण को उनका हिस्सा नहीं दे दे तब तक भूमियो को किसी दीगर व्यक्ति को नहीं बेच सकते तो उन्होन वादीगण की माता अंजु चौधरी को धमकी दी कि वे वादग्रस्त भूमियों में वादीगण के हिस्से की भूमियो को विक्रय कर देगे तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमियो से बेदखल कर देगे तथा उक्त भूमि में सोसायटी द्वारा आवासीय स्कीम काटकर पट्टो के आधार पर अन्य व्यक्तियो को बेच देगे इसलिए वादीगण को अपने अधिकारो के संरक्षणार्थ यह वाद पेश करना लाजमी आया है। प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि में से वादीगण के अधिकार हिस्से की भूमियो को वादीगण को वंचित करने के आशय से बेचान करने को उतारू है जिनका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है इसलिए प्रतिवादीगण के उक्त विधि विरूद्ध कार्य को रोकने के लिए वादीगण को अपने अधिकारों के संरक्षणार्थ यह वाद पेश करना लाजमी आया है। वादीगण अधिकारी है कि वह वादग्रस्त भूमियो मे सारणी क में 1/36 हिस्से का एवं सारणी ख में प्रत्येक को 1/9 हिस्से का मालिक घोषित करवाते हुए उक्त वादग्रस्त भूमियो में से अपने हिस्से की भूमियो का विधिवत बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा न्यायालय से करवा लेवे एवं अलग से खाता बनवाकर राजस्व रिकार्ड मे तकासमे के अनुरूप अपने नाम इन्द्राज करवा लेवे। वादीगण अधिकारी है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अदालत श्रीमान से इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर लेवे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग, हिस्से व अंश का विक्रय, दान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा ना ही उपरोक्त भूमियो पर किसी प्रकार कोई निर्माण करे तथा ना ही उक्त भूमियो की स्थिति परिवर्तित करे तथा उक्त भूमियो के सम्बन्ध में बेकडेट में कोई भी दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार नही करे तथा ना ही उन पर किसी प्रकार की कोई प्लाटिंग करे तथा अन्य किसी भी तरीके से वादीगण को उनके हक हिस्से से वंचित नही करे उपरोक्त भूमियो की स्थिति को परिवर्तित नही करे, मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। ऐसा प्रतिवादीगण ना तो स्वंय करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट से करावे। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 14 विवादित भूमि सारणी क में सह खातेदार है जब तक विवादित भूमियो का कानूनन तकासमा नहीं हो जाता तब तक किसी व्यक्ति को उक्त भूमियो को बेचने का या उन पर निर्माण करने का अधिकार नहीं होता परन्तु वे ही विवादित भूमियो में अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने को उतारू है तथा उस पर निर्माण कार्य कर उसकी स्थिति परिवर्तित करने को उत्तारू है इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को भी जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 15 व 16 तहसीलदार लेण्ड होल्डर व उप पंजीयक होने के कारण उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जो राजस्व प्रतिनिधि एवं लोक सेवक होने के कारण दो माह का नोटिस 80 सी.पी.सी. का दिया जाना अनिवार्य है लेकिन मामला अत्यन्त अर्जेन्ट व ईमरजेन्सी नेचर का होने के कारण नोटिस से छूट का प्रार्थना पत्र साथ से पेश कर दावा प्रस्तुत करने की अनुमति चाही हैं। वाद कारण दिनांक 22.03. ... को जब प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 द्वारा उपरोक्त ... को बेचने की बात कर रहे थे एवं वादीगण की माता द्वारा उन्हे ऐसा करने से ...ने पर भी नही वे नहीं मानने पर एवं वादीगण की माता को ऐलानिया धमकी दी, ... होकर आज दिन तक निरन्तर जारी हैं।

अतः वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भूमि में सारणी क मे वादीगण को 1/36 हिस्से का एवं सारणी ख में वादीगण को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा का डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त भूमि जिसका पूर्ण विवरण वाद पत्र की मद संख्या 1 में दिया हुआ है, का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया किया जावे एवं वादीगण को तकासमें के अनुसार उनके हिस्से में आई भूमियों का कब्जा दिलवाया जाकर हिस्सा पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं लगान कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण घोषणा एवं तकासमे के अनुरूप वादीगण के हिस्से में आई भूमियों पर वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में बाधा कारित नहीं करे तथा उन पर जबरन कब्जा नहीं करे। वादीगण के हिस्से में आई भूमियां विकय, दान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे। ऐसा ना तो स्वंय करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, वर्कमेन इत्यादि से करावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 12.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 14 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 19.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व 14 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त वाद के पृष्ठ संख्या 5 के पैरा संख्या 4 की पंक्ति संख्या 2 में संहवन से खसरा संख्या 367 के स्थान पर 376 अंकित हो गया उसे दूरूस्त कर खसरा संख्या 376 के स्थान पर खसरा संख्या 367 किया जावे। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सूनी गयी। वादीया अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण बालू के विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की घोषणा चाही गयी है। वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि में सारणी क मे वादीगण को 1/36 हिस्से का एवं सारणी ख में वादीगण को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं मालिक घोषित किया जावे। वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा का डिकी किया जाकर विवादग्रस्त भूमि जिसका पूर्ण विवरण वाद पत्र की मद संख्या 1 में दिया हुआ है, का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया किया जावे एवं वादीगण को तकासमें के अनुसार उनके हिस्से में आई भूमियों का कब्जा दिलवाया जाकर हिस्सा पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं लगान कायम किया जावे। इसलिए वादिया का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि वाके ग्राम जैतपुरा उर्फ कल्याणवाला, पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त पैतृक भूमि खाता संख्या 26 के खसरा नम्बरान 694, 709, 846/693, 852/695, 854/695, 857/708 कुल किता 6 कुल रकबा 0.24 है0 व खाता संख्या 24 के खसरा नम्बरान 682, 683, 695, 696, 697, 704, 705, 706, 708, 845/684 कुल किता 10 कुल रकबा 2.91 है0 परदादा बालू पुत्र जीवण की खातेदारी की आराजी थी। बालू पुत्र जीवण की मृत्यु के पश्चात स्व0 बालू की स्व0 बालू की सम्पूर्ण आराजी दोनो पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई है। दोनों पुत्रों में परिवार के सदस्यो की से उक्त भूमियों में से कुछ मनबट के आधार पर बटवारा कर लिया और कुछ खाते में रही है उक्त वाद के पैरा नम्बर 1 में अंकित सारणी क वाली भूमियो हिस्सा व सारणी ख वाली भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के नाम राजस्व में दर्ज हुई। इससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त पुश्तैनी एवं मौरूसी होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 1 व वादी 2 को पैत्रक अधिकार जन्म से से ही प्राप्त है इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 1 व वादी संख्या 2 संयुक्त स्वामित्व एवं हक अधिकारी प्राप्त है वादपत्र मद संख्या 1 में सारणी क में वर्णित आराजीयात में पतिवादी संख्या 1 गणेश नारायण के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 3 फूलचन्द के 1/6 हिस्से में से वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा तथा उक्त सारणी में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात में वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/72 हिस्सा व सारणी ख में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी फूलचन्द के 1/6 में से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा तथा उक्त सारणी में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात में वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का हिस्सा 1/12 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का उपरोक्तानुसार संयुक्त रूप से मालिकाना हक व हिस्सा है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने के कारण अपने एकल स्वामित्व की होने के कारण अन्य को बेचान करने पर उतारू है वादीगण द्वारा द्वारा बार बार कहने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा विधिवत बटवारा करने से इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला, पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी भूमि खाता संख्या 26 के खसरा नम्बरान 694, 709, 846/693, 852/695, 854/695, 857/708 कुल किता 6 कुल रकबा 0.24 है0 में 1/36 हिस्सा व खाता संख्या 24 के खसरा नम्बरान 682, 683, 695, 696, 697, 704, 705, 706, 708, 845/684 कुल किता 10 कुल रकबा 2.91 है0 में वादीगण को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा घोषणा के बाद जब तक विधिवत तकासमा नही हो जाता तब तक वादीगण के हिस्से में आई भूमियों पर वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में बाधा कारित नहीं करे तथा उन पर जबरन कब्जा नहीं करे। वादीगण के हिस्से में आई भूमियां विकय, दान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे। ऐसा ना तो स्वंय करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, वर्कमेन इत्यादि से करावे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)

...अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

...संख्या : 06/2016

...दिनांक: 11.02.2025

उनवान

...पुत्र श्री फूलचन्द, उम्र 10 वर्ष, (जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अजु चौधरी पत्नी श्री ...चन्द चौधरी)

...पुत्री श्री फूलचन्द, उम्र 6 वर्ष, (जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता अंजु चौधरी पत्नी श्री ...चन्द चौधरी) समस्त जाति जाट, निवासीयान प्लाट नम्बर 27, गली नम्बर–2, मोती नगर, ...खंड महादेव मंदिर के पास, वैशाली नगर, जयपुर।

–वादीया

बनाम

...नारायण पुत्र श्री बालू,
...शेखर पुत्र श्री गणेशनारायण,
...चन्द पुत्र श्री गणेश नारायण,
...नीता पुत्री गणेश नारायण,
...हिनी पुत्री श्री गणेश नारायण,
...सुमन पुत्री गणेश नारायण
समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम हाज्यावाला, पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
...ग्यारसी लाल पुत्र श्री बालू
...दौलतराम पुत्र श्री धन्ना,
...आनन्दी लाल पुत्र श्री धन्ना,
10 रामेश्वर पुत्र श्री धन्ना,
11 हीरालाल पुत्र श्री धन्ना,
12 जुगल किशोर पुत्र श्री धन्ना,
13 घासीराम पुत्र श्री धन्ना,
14 जगदीश पुत्र श्री धन्ना
समस्त जाति जाट, निवासीयान– ग्राम हाज्यावाला, पोस्ट मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
15 राज्य सरकार जरिये, तहसीलदार सांगानेर, जयपुर।
16 उप पंजीयक महोदय कार्यालय तहसील सांगानेर, जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वह कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला, पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी भूमि खाता संख्या 26 के खसरा नम्बरान 694, 709, 846/693, 852/695, ...A/695, 857/708 कुल किता 6 कुल रकबा 0.24 है0 में 1/36 हिस्सा व खाता संख्या 24 के खसरा नम्बरान 682, 683, 695, 696, 697, 704, 705, 706, 708, 845/684 कुल किता 10 कुल रकबा 2.91 है0 में वादीगण को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा घोषणा के बाद जब तक विधिवत तकासमा नही हो जाता तब तक वादीगण के हिस्से में आई भूमियों पर वादीगण के उपयोग उपभोग एवं

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...काश्त में बाधा कारित नहीं करे तथा उन पर जबरन कब्जा नहीं करे। वादीगण के ...मे में आई भूमियां विकय, दान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे। ऐसा ना तो ...करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, वर्कमेन इत्यादि से करावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की ...रीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2025 को जारी ...की गई।

मुहर

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)